मूल्य 1 रुपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 68 | अक्टूबर, 2023 | अंक 10 | कुल पृष्ठ 6

(भाग -1)

"हरित क्रांति से अमृत काल तक: भारतीय कृषि के लिए सबक और आगे का रास्ता" पुस्तक से लिया गया है, जो भारत सरकार के नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (नीति आयोग) के सदस्य, प्रोफेसर रमेश चंद के द्वारा लिखित एक वर्किंग पेपर है।

कृषि आजीविका, खाद्य और पोषण सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधन प्रणाली की स्थिरता, पर्यावरण के स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, रोजगार और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत विकास एजेंडा 2030 कृषि पर ध्यान दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में से 11 सीधे कृषि से जुड़े हैं। इस ग्रह (पृथ्वी) के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं - जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन और क्षरण। खेती के प्रकार और तरीकों का इन पर महत्वपूर्ण असर पड़ता है। इस सबने कृषि में नए सिरे से रुचि पैदा की है और सभी देशों (उनके विकास का स्तर जो भी हो) के लिए कृषि का भविष्य चिंता का एक प्रमुख विषय बना हुआ है। भारत में, कृषि को अमृत काल के दौरान विकसित भारत, समावेशी विकास, हरित विकास और लाभप्रद रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप नीचे सुझाया गया है।

❊ किसानों की आय में महत्वपूर्ण और निरंतर वृद्धि और कृषि के रूपांतरण के लिए कृषि क्षेत्र के प्रति दृष्टिकोण में एक आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। अमृत काल के दौरान आधुनिक और जीवंत कृषि के लिए सक्षम वातावरण का निर्माण करने के लिए पुराने विनियमों में बदलाव और कृषि क्षेत्र का उदारीकरण आवश्यक है। विज्ञान आधारित प्रौद्योगिकी में उन्नति, फसल पूर्व और फसल उपरांत दोनों चरणों में निजी क्षेत्र के लिए अधिक भूमिका, उदारीकृत उत्पादन बाजार, सक्रिय भूमि पट्टा बाजार, और दक्षता पर जोर कृषि को इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने और विकसित भारत के लक्ष्य में योगदान देने के लिए तैयार करेंगे।

❊ "खेती और कृषि व्यवसाय करने में आसानी" (ease of doing farming) में सुधार के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

❊ भविष्य में कृषि की प्रगति के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई मोर्चों पर कार्रवाई की आवश्यकता है। सरकार के दो स्तरों के बीच अच्छी तरह से समन्वित कार्रवाई और रणनीति यह सुनिश्चित करने के

लिए आवश्यक है कि कृषि भी अन्य क्षेत्रों के साथ ही विकास के अगले चरण पर पहुंचे।

❋ कृषि के आधुनिकीकरण की दिशा में बदलाव में कृषि के भीतर ज्ञान और कौशल गहन प्रथाओं, कृषि में निजी और कॉर्पोरेट क्षेत्र के निवेश, उत्पादकों के नए संस्थानों, एकीकृत खाद्य प्रणाली आधारित तंत्रों और उत्पादकों और अंतिम उपयोगकर्ताओं के बीच नए प्रकार के संबंध को शुरू करना और प्रचार-प्रसार करना शामिल होंगे। बदले में इन परिवर्तनों द्वारा कृषि में और कृषि के लिए सुविधाजनक नियामक वातावरण और जिम्मेदार सार्वजनिक और निजी निवेश प्रदान करने के लिये कृषि क्षेत्र के उदारीकरण की आवश्यकता है।

❋ भारत ने विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन दक्षता हासिल करने के मामले में पिछड़ गया है। विकास के बजाए कुशल विकास यानी उत्पादन में लागत प्रभावी वृद्धि पर जोर दिया जाना चाहिए। इसके लिए कृषि में अत्याधुनिक तकनीकों और स्मार्ट खेती को अपनाने और मुख्य उत्पादों और उपोत्पादों के मूल्य को अधिकतम करने की आवश्यकता है।

❋ कृषि की प्रगति को मापने का मुख्य पैमाना भूमि की प्रति इकाई उपज रहा है। यह पानी का उपयोग, उर्वरक का उपयोग और श्रम गहनता जैसे अन्य प्रतिबंधक और लागत से जुड़े कारकों को अनदेखा करता है। उपज के साथ-साथ अन्य इनपुट की उत्पादकता को भी अधिकतम किया जाना चाहिए।

❋ कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की प्रणाली कृषि बाजारों में कम प्रतिस्पर्धा और कदाचार से बचाव के लिए आवश्यक है। बहुतायत की अवधि के दौरान भी एमएसपी महत्वपूर्ण हो जाता है, भले ही बाजार प्रतिस्पर्धी हों। हालांकि, एमएसपी की प्रणाली से बाजार के संकेतों और प्रोत्साहनों में विकृतियां पैदा नहीं होनी चाहिए। किसानों को एमएसपी का भुगतान करने के लिए भारत को दो तरीकों (यानी एमएसपी पर खरीद और मूल्य की कमी का भुगतान) के संयोजन का उपयोग करना चाहिए। सार्वजनिक खरीद को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मूल्य स्थिरता और रणनीतिक स्टॉक के लिए आवश्यक मात्रा से जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा, अनिवार्य फसलों में एमएसपी को मूल्य की कमी के भुगतान के माध्यम से लागू किया जाए। इस प्रणाली को पहले मध्य प्रदेश में आजमाया गया था और वर्तमान में हरियाणा में कुछ फसलों के लिए इसे सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है।

❋ भारतीय कृषि कई उत्पादों में अधिशेष में वृद्धि की ओर बढ़ रही है। इससे निर्यात के माध्यम से और अधिक मात्रा के निपटान की आवश्यकता होती है। हालाँकि, यदि एमएसपी निर्यात योग्य मूल्य से अधिक होता है और खरीद की प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, तो बिना सब्सिडी के उनका निर्यात असंभव हो जाता है। डब्ल्यूटीओ समझौते के उल्लंघन के आधार पर कई प्रतिस्पर्धी देश इस पर आपत्ति जताते हैं। ऐसी स्थितियों का सबसे अच्छा समाधान किसानों को राज्य स्तर पर एमएसपी और औसत बाजार मूल्य के बीच के अंतर का भुगतान करना है, जैसा कि कई देशों में होता है (रमेश चंद, 2019)। यह पद्धति डब्ल्यूटीओ के अनुरूप भी है।

❋ विभिन्न स्तर पर कीमतों में भारी अंतर, उत्पादन की छोटी मात्रा के साथ काम करने वाले बिचौलियों की बड़ी संख्या, कई खामियां और खराब बुनियादी ढांचा और भंडारण सुविधाएं कृषि बाजारों की विशेषताएं है (रमेश चंद, 2012)। उन्हें उन्नत, आधुनिक और उदार बनाने की आवश्यकता है। उन्हें ग्रेडिंग, पैकेजिंग, भंडारण और परखने की सुविधाओं, डिजिटल लेनदेन और ई-मार्केटिंग के विकल्पों से लैस किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, सीधे विपणन, संविदा खेती जैसे विकल्प समय की मांग हैं। कृषि स्टार्ट-अप, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और सहकारी समितियों के माध्यम से बाजार

नवाचारों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

❊ निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र कृषि व्यवसाय के विस्तार में कई अवसरों को महसूस कर रहा है। इससे माल गोदाम, लॉजिस्टिक्स, कोल्ड चेन, खाद्य प्रसंस्करण और एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकास में आधुनिक पूंजी आएगी और बदले में, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और समय और स्थान के साथ बाजार एकीकरण में सुधार होगा। राज्य सरकारों को इन अवसरों का लाभ उठाने में उत्पादकों को सुगमता प्रदान करनी चाहिए।

❊ "बायोस" और पौधों पर आधारित दवाओं, उपचारों, न्यूट्रास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधनों, निस्संक्रामकों, कीटाणुनाशकों, पेस्टीसाइड, और अनेक अन्य उपभोक्ता उत्पादों को पसंद करने की दिशा में मजबूत बदलाव आया है। ज्यादातर लोग रासायनिक और सिंथेटिक उत्पादों के स्थान पर प्राकृतिक उत्पादों की ओर रूख कर रहे हैं। ऐसी उम्मीद है कि फसलों की सुरक्षा के लिए नियंत्रण के जैविक उपाय काफी हद तक रसायनों को प्रतिस्थापित कर देंगे। कुछ विशेषज्ञों का यह मानना है कि कई रसायन आधारित उद्योग भविष्य में कच्चे माल और अंतिम उत्पाद के रूप में उपयोग किए जाने वाले जैव आधारित उत्पादों की ओर रुख करेंगे। यह अमृतकाल की ओर इशारा करता है जो कृषि में एक नए प्रकार के उद्योग का उदय होते हुए देख रहा है, जिसमें खेतों को उत्पादन का कारखाना बनाने की संभावना है।

❊ राज्यों को कृषि में व्यापक सुधार करना चाहिए और प्रतिबंधात्मक नियमों को नए नियमों से प्रतिस्थापित करना चाहिए जो कृषि की नई वास्तविकता, उभरते अवसरों, फसल पूर्व और फसलोपरांत की प्रक्रियाओं में निवेश करने की आधुनिक पूंजी की क्षमता और उत्सुकता और निवेश के वातावरण में परिवर्तनों, नए संस्थागत तंत्रों, आईसीटी और उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं के अनुरूप हों।

❊ निकट भविष्य में भारतीय कृषि पर छोटी जोतों का प्रभुत्व बना रहेगा। ऋण, नए ज्ञान और बेहतर बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ, सहकारी समितियों और कृषि स्टार्ट-अप के माध्यम से सशक्त बनाया जाना चाहिए। इनमें से कुछ छोटे जोत धारक अन्य क्षेत्रों में बेहतर अवसरों के लिए खेती करना छोड़ देंगे, जबकि अन्य दूसरे किसानों से भूमि पट्टे पर लेकर अपना आधार बढ़ाना चाहेंगे। कुछ राज्यों में यह पहले से ही बड़े पैमाने पर हो रहा है। काश्तकारी से संबंधित विविध समस्याओं के कारण, भूमि पट्टा बाजार अनौपचारिक सेटिंग में संचालित होता है, जो पट्टेदार (भूस्वामी) और पट्टाधारी (किरायेदार) दोनों किसानों को विभिन्न लाभों और अवसरों से वंचित करता है। राज्यों को कृषि भूमि के पट्टे को उदार बनाना चाहिए ताकि भूमि का स्वामित्व या नियंत्रण खोने के किसी डर के बिना भू-स्वामियों को औपचारिक रूप से अपनी भूमि को किराए पर देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

❊ भारत को अंशकालिक किसानों के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों की योजना बनानी चाहिए, ताकि वे अपने घर के पास कृषि से भिन्न गतिविधियों में कुछ काम करने का अवसर प्राप्त कर सकें और अपनी छोटी खेती को भी कर सकें।

❊ कृषि रसायनों के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों को और सुरक्षित एवं स्वस्थ खाद्य पदार्थों के प्रति उपभोक्ताओं की बढ़ती पसंद को महसूस करके, भारत ने प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये तरीके किसानों के बीच धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि, कृषि रसायनों और आधुनिक इनपुट का उपयोग करने वाली कृषि पद्धतियों की तुलना में प्राकृतिक खेती में कम पैदावार, भले ही अल्पावधि के लिए हो, से संबंधित चिंताएं हैं। खाद्य उत्पादन में वर्तमान अधिशेष और खाद्य आपूर्ति और मांग में अनुमानित रुझानों को देखते हुए, भारत समग्र स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए किसी भी खतरे के बिना 2032-33 तक एक-चौथाई क्षेत्रफल को प्राकृतिक

खेती और इसी तरह की प्रथाओं के तहत डाल सकता है। हालांकि, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए कुछ निर्यात योग्य अधिशेष को शामिल करना होगा। इस बीच, देश को प्राकृतिक खेती में अनुसंधान एवं विकास में निवेश करना चाहिए और प्राकृतिक खेती की प्रणाली का उपयोग करके अधिक उपज और विकास की संभावनाओं का पता लगाना चाहिए। इन दस वर्षों के अनुभव के आधार पर प्राकृतिक खेती को आने वाले समय में बढ़ावा देने के बारे में निर्णय लिया जाना चाहिए।

❋ खेती की लागत के आंकड़े की योजना के अनुसार खेती के तहत कुल क्षेत्रफल के 6 प्रतिशत पर कृषि रसायन का शून्य उपयोग है। इसके अलावा, 7.6 प्रतिशत क्षेत्रफल पर उर्वरक का उपयोग 8 किलो प्रति एकड़ से कम है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे उत्पादन और कृषि आय में भी वृद्धि होगी।

❋ कृषि रसायनों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से उनके उपयोग और इसके परिणामी प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की अपार गुंजाइश है। इसके लिए किसानों को सही निदान, उपचार, खुराक और उपयोग के तरीकों के बारे में शिक्षित करने और उनकी मदद करने की आवश्यकता है। एकीकृत कीट प्रबंधन और जैव नियंत्रण जैसे तरीके भी कृषि रसायनों के उपयोग को कम करने में उपयोगी होते हैं।

❋ कीटनाशकों, जीवनाशकों, परिरक्षकों, खरपतवारनाशियों, वृद्धि हार्मोन और अन्य कृषि रसायनों के उचित उपयोग को लागू करने के लिए विनियमन और उसका प्रभावी कार्यान्वयन बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि और किसान कम गुणवत्ता, घटिया और नकली उत्पादों और इनपुट की समस्या से ग्रस्त हैं। इन पर लगाम लगाने के लिए सख्त नियमन की जरूरत है।

❋ विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पादन पैटर्न और प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए सचेत प्रयास किए जाने चाहिए जो उनकी कृषि-जलवायु विशेषताओं और प्राकृतिक धरोहर के अनुरूप हों। अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक लाभों का त्याग करने के बजाय, स्थिरता को बनाए रखने के लिए संतुलन बनाया जाना चाहिए।

❋ जोतने बोने योग्य भूमि और कृषि के योग्य बंजर भूमि पर वृक्षारोपण और कृषि वानिकी की प्रचुर संभावनायें हैं। निजी भूमि पर पेड़ों की कटाई, इमारती लकड़ी के विपणन और लकड़ी आधारित उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाने से भारत को हरा-भरा बनाने, पर्यावरण में सुधार के साथ-साथ रोजगार और आय बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त होगा।

❋ विनिर्माण क्षेत्र द्वारा तेजी से श्रम का विस्थापन या श्रम की बचत करने वाली पूंजी गहन प्रौद्योगिकियों और स्वचालन को उत्तरोत्तर अपनाए जाने से रोजगार एक गंभीर चुनौती बनता जा रहा है। विनिर्माण और वितरण में क्रांति लाने के लिए उद्योग 4.0 रोबोटिक्स, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और एनालिटिक्स, एडवांस सेंसर और डिजिटल ट्विन्स जैसी तकनीकों और विकल्पों का उपयोग कर रहा है। यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संरचनात्मक रूपांतरण को पहले ही प्रभावित कर चुका है, क्योंकि विनिर्माण का रोजगार हिस्सा उत्पादन में अपने हिस्से के साथ तालमेल नहीं रख रहा है। नतीजतन, श्रमिक कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता, कम भुगतान और मौसमी रोजगार में फंस गया है। भारत और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अतिरिक्त श्रमिकों को कृषि में उपयुक्त रूप से नियोजित करने के लिए सामान्य विकास प्रक्रिया में कोई तरीका खोजना होगा जो गैर-कृषि क्षेत्र में रोजगार नहीं पा रहे हैं। एक संभावना यह है कि ऐसे उत्पादों के लिए बढ़ती प्राथमिकता को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के जैव आधारित औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करने के लिए खेतों के आसपास फसल तैयार होने के बाद की मूल्य श्रृंखलाओं और छोटी विनिर्माण

सुविधाओं का विकास किया जाए।

❋ फसल और पशुधन के बायोमास और कचरे से जैव ऊर्जा (सीबीजी या इथेनॉल) का उत्पादन करने के लिए अब प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हो गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की लगभग 300 इकाइयां पहले से ही सीबीजी का उत्पादन कर रही हैं और 2025 तक इस संख्या को बढ़ाकर 5,000 करने का लक्ष्य है। यह चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है और भारत सरकार गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज -धन) योजना और सतत (सस्ती परिवहन के लिए सतत विकल्प) योजना के माध्यम से इस पद्धति का समर्थन कर रही है। अधिकाधिक ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल करने के लिए ऐसी योजनाओं का विस्तार किया जाना चाहिए।

❋ जल संसाधनों के और अतिदोहन को रोकने के लिए, ऐसा नीतिगत वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है जो विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों की धरोहरों के अनुरूप फसल पद्धतियों और प्रथाओं को अग्रसर करें। इसके अलावा, देश सिंचाई के आधुनिक तरीकों (ड्रिप, स्प्रिंकलर, सेंसर) के माध्यम से कृषि में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार किए बिना जल संसाधनों पर तनाव की समस्या को दूर नहीं कर सकता है और भविष्य में पानी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता है।

❋ कृषि क्षेत्र को मुफ्त या अत्यधिक सब्सिडी वाली बिजली को भूजल के अत्यधिक दोहन और जल संसाधनों के गैर टिकाऊ उपयोग का मुख्य कारण माना जाता है। इसके बावजूद, कृषि को मुफ्त बिजली देने का चलन बढ़ रहा है। इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जाता है क्योंकि इसका कृषि आय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक उपाय यह है कि सीधे किसानों को सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जाए और मीटर वाली बिजली आपूर्ति में शिफ्ट किया जाए, जिसके लिए भुगतान किया जाएगा।

❋ पिछले पांच दशकों के दौरान रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 1,100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि गोबर की खाद के उपयोग में केवल 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप, भारतीय मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ समाप्त हो रहे हैं और कई स्थानों पर मृदा क्षय देखने को मिल रही है। मिट्टी की उर्वरता को बहाल करने और बनाए रखने के लिए जैविक और जैव उर्वरकों, कंपोस्ट, गोबर की खाद और हरित परिपक्वता के उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

❋ किसानों तक प्रौद्योगिकी और ज्ञान के आसान प्रसार के माध्यम से डिजिटल प्रौद्योगिकी कृषि की दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह देखते हुए कि कृषि के लिए पारंपरिक विस्तार प्रणाली कमजोर हो गई है, डिजिटल प्रौद्योगिकी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। कुछ राज्य पहले से ही इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एग्री स्टार्ट-अप कृषि की संपूर्णश्रृंखला में डिजिटल प्रौद्योगिकी और अन्य रूपांतरकारी नवाचारों के अनुप्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी भागीदारी कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए क्रांतिकारी समाधान ला सकती है।

❋ 2047 तक भारत के विकसित देश बनने के सपने को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र कुछ उपयोगी अनुभव प्रदान करता है। डेयरी, मुर्गीपालन और मत्स्य क्षेत्र भारत को विकसित देश बनाने के लिए आवश्यक विकास दर के करीब हैं। ऐसी विकास दर बागवानी और कृषि वानिकी में भी संभव है। देश को इन क्षेत्रों की क्षमता का दोहन करने के लिए इनका उदारीकरण करने की आवश्यकता है। यद्यपि गैर-कृषि क्षेत्र कृषि की तुलना में उच्च विकास दर दे सकता है, परंतु कृषि क्षेत्र समावेशी विकास, रोजगार सृजन, आर्थिक समानता, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है और ये सभी विकसित भारत बनने के हमारे लक्ष्य का अभिन्न अंग हैं। इस प्रकार, हमें अमृत काल के दौरान कृषि क्षेत्र को केंद्रीय भूमिका देकर विकसित भारत की योजना बनानी चाहिए।

RNI No. 831/1957 प्रकाशन की तिथि : 1 अक्टूबर, 2023
पोस्टल रजि० DL (S)-01/3092/2021-23 एल.पी.सी., दिल्ली आर.एम.एस, दिल्ली–6,
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं. तारीख 4 एवं 5, अक्टूबर 2023
U(C)-92/2021-23

सार्वजनिक सूचना

भारत कृषक समाज के सदस्यों से अनुरोध है कि वे भारत कृषक समाज के महासचिव के कार्यालय के साथ अपने संपर्क विवरण को अद्यतन करें।

संपर्क विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता हैः

नामः ____________________

सदस्यता संख्याः ____________________

वर्तमान पताः ____________________

____

टेलीफोन नंबरः ____________________

मोबाइल नंबरः ____________________

ईमेलः ____________________

(कृपया पते का सबूत की एक छायाप्रति संलग्न करें)

विधिवत भरा हुआ फॉर्म निम्नलिखित पते पर स्पीड पोस्ट या ईमेल द्वारा इस माह के अन्त तक या उससे पहले जमा कराएं:

महासचिव
भारत कृषक समाज
ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली, 110013
ईमेलः– Samdarshi.bks@gmail.com
टेलीफोनः– 011–41402278

नोटः आपसे अनुरोध है कि आप अन्य सदस्यों को भी ऐसा करने के लिए सूचित करे।

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–41402278, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.bks.org.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।